रजिस्ट्री सं. डी.एल. (एन) 04/0007/2003—05 REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-06012021-224244
CG-DL-W-06012021-224244
प्राधकार स प्रकाशत
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 30] नई दिल्ली, दिसम्बर 27, 2020—जनवरी 2, 2021, शनिवार/पौष 6— पौष 12, 1942
No. 30] NEW DELHI, DECEMBER 27, 2020—JANUARY 2, 2021, SATURDAY/PAUSHA 6–PAUSHA 12, 1942

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)
PART II—Section 3—Sub-section (iii)

केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए साधारण आदेश और अधिसूचनाएं
Orders and Notifications issued by the Central Authorities (Other than the Administrations of Union Territories)

भारत निर्वाचन आयोग सचिवालय

आदेश

नई दिल्ली, 22 दिसम्बर, 2020

आ. अ. 122.—यतः, आयोग ने रा.रा.क्षे. दिल्ली के 06-पश्चिम दिल्ली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए दिनांक 16.04.2019 की अपनी अधिसूचना के द्वारा लोक सभा के साधारण निर्वाचन आयोजित करने की घोषणा की थी और **श्री विकास कुमार मोहल** ने पूर्वोक्त निर्वाचन लड़ा था;

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77 (1) के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी, वह तिथि जब उसे नाम-निर्देशित किया गया है और उसके परिणाम की घोषणा की तिथि, दोनों तारीखें सम्मिलित, के बीच अपने द्वारा या अपने निर्वाचन एजेंट द्वारा उपगत या अधिकृत निर्वाचन संबंधी सभी खर्चों का, या तो स्वयं या अपने निर्वाचन एजेंट द्वारा, एक पृथक और सही लेखा रखेगा और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से तीस दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी को दर्ज करेगा जो धारा 77 के अंतर्गत उसके द्वारा अथवा उसके निर्वाचन एजेंट द्वारा रखे गए लेखे की सत्य प्रतिलिपि होगी।

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89(2) के अधीन मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पत्र **सं. सीईओ/ईईएम(102)/(49)जीई-2019/49970 दिनांक 09.07.2019** के जरिए जिला निर्वाचन अधिकारी, पश्चिमी दिल्ली जिला, रा.रा.क्षेत्र, दिल्ली द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के **06-पश्चिम दिल्ली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र** से निर्वाचन लड़ने वाले आपकी अपनी पार्टी (पीपल्स) के अभ्यर्थी, **श्री विकास कुमार मोहल** विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं।

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, पश्चिम दिल्ली रा.रा.क्षे. दिल्ली और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, दिल्ली की रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के तहत निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल न करने पर, **श्री विकास कुमार मोहल** को कारण बताओ नोटिस दिनांक **25.07.2019** जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप नियम (6) के अनुसार, दिनांक **25.07.2019** के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के माध्यम से, **श्री विकास कुमार मोहल** को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के भीतर लेखे प्रस्तुत न कर पाने का कारण स्पष्ट करते हुए आयोग को लिखित में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें/अपने लेखे में त्रुटियों को सही करें और उसे संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करें;

और यतः श्री विकास कुमार मोहल द्वारा उक्त नोटिस दिनांक 08.08.2019 को प्राप्त किया गया था। अभ्यर्थी से प्राप्त पावती, एसडीएम, निर्वाचन, पश्चिम दिल्ली जिला द्वारा दिनांक 21.08.2019 के अपने पत्र सं-पीसी-06(डब्ल्युपीसी-06)/डीईओ(डब्ल्यु)/2019/6068 के द्वारा आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है।

और यतः, **एसडीएम (ई), पश्चिम दिल्ली** द्वारा दिनांक 30.09.2020 के अपने पत्र सं. **पीसी-06(डब्ल्युपीसी-06)/डीईओ(डब्ल्यु)/ 2019/8667-69 के द्वारा प्रस्तुत अनुपूरक रिपोर्ट में यह कहा गया है कि श्री विकास कुमार मोहल निवासी-मकान नं0-04, ब्लोक नं0-06, गांव-तोशाम, तहसील-तोशाम, जिला-भिवानी, हरियाणा** ने न तो कोई अभ्यावेदन दिया है और न ही मूल वाउचर्स सहित विधिवत रूप से हस्ताक्षरित निर्वाचन व्यय के सही लेखे प्रस्तुत किए हैं। इसके अतिरिक्त, उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग के सम्यक् नोटिस की प्राप्ति के बाद भी उक्त असफलता हेतु न तो कोई कारण बताया न ही स्पष्टीकरण दिया है;

और यतः, भारत निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि **श्री विकास कुमार मोहल** निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं और असफलता के लिए उनके पास कोई समुचित कारण या न्यायोचित्य नहीं है;

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह अनुबंधित किया गया है कि:-

"यदि निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या कानून के अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा

(ख) उसके पास उस असफलता के लिए कोई समुचित कारण या न्यायोचित्य नहीं है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा कोई भी व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित रहेगा;

अब इसीलिए, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा रा.रा.क्षेत्र दिल्ली राज्य के 06-पश्चिम दिल्ली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा के साधारण निर्वाचन, 2019 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी, **श्री विकास कुमार मोहल निवासी-मकान नं0-04, ब्लोक नं0-06, गांव-तोशाम, तहसील-तोशाम, जिला-भिवानी, हरियाणा** को संसद के किसी भी सदन या राज्य या संघ राज्य-क्षेत्र की विधानसभा अथवा विधान परिषद के लिए सदस्य चुने जाने या होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं. 76/भा.नि.आ./आदे./प्रा./एनएस-II/डीएल-लोकसभा/06/2019]

आदेश से,

अजय कुमार, सचिव

SECRETARIAT OF THE ELECTION COMMISSION OF INDIA

ORDER

New Delhi, the 22nd December, 2020

O. N. 122 .— WHEREAS, the Commission had declared to hold the General Election to the House of the People of NCT of Delhi to **06–West Delhi Parliamentary Constituency** vide its Notification dated **16.04.2019** and **Shri Vikas Kumar Mohal** had contested the aforesaid election;

AND WHEREAS, as per Section 77 (1) of the Representation of the People Act, 1951, every candidate at election shall, either by himself or by his election agent, keep a separate and correct account of all expenditure in connection with the election incurred or authorized by him or by his election agent between (the date on which he has been nominated) and (the date of declaration of the result thereof), both dates inclusive & as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election shall, within thirty days from the date of election of the returned candidate lodge with the District Election Officer (DEO) account of his election expenses which shall be in a true copy of the account kept by him or by his election agent under Section 77.

AND WHEREAS, as per the report under rule 89(2) of the Conduct of Election Rules, 1961, submitted by the District Election Officer, West Delhi District, NCT of Delhi through the Chief Electoral Officer's letter No. **CEO/EEM(102)/(49)GE-2019/49970 dated 09.07.2019**, **Shri Vikas Kumar Mohal Aapki Apni Party (Peoples),** contesting candidate from **06 West Delhi Parliamentary Constituency** of NCT of Delhi, has failed to lodge any account of his election expenses as required by law.

AND WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer, West Delhi, NCT of Delhi and the Chief Electoral Officer, Delhi, a Show Cause notice dated **25.07.2019** was issued by the Election Commission of India under Sub Rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 to **Shri Vikas Kumar Mohal** for non submission of account of Election expenses;

AND WHEREAS, as per Sub Rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, through the above said Show Cause Notice dated **25.07.2019**, **Shri Vikas Kumar Mohal** was directed to submit his representation in writing in the Commission explaining the reason for non submission of accounts and also to lodge his accounts of election expenses/rectify the defects in his accounts and submit the same the District Election Officer concerned within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by **Shri Vikas Kumar Mohal** on **08-08-2019**. Acknowledgment receipt obtained from the candidate have been submitted to the Commission by SDM(E) West Delhi vide his letter No. PC-06(WDPC-06)/DEO (W)/2019/6086 dated **21.08.2019**.

AND WHEREAS, in the supplementary report submitted by SDM(E), West Delhi vide his letter **PC-06(WDPC-06)DEO(W)/2019/8667-69 dated 30.09.2019**, it has been stated that **Shri Vikas Kumar Mohal**, resident of House No. 04, Block No. 6, Village Tosham, Tehsil Tosham, Distt. Bhiwani, Haryana has not submitted any representation or a statement of correct account of his election expenses, duly signed along with original vouchers. Further, he has neither furnished any reason nor explanation for the said failure even after receipt of the due notice to the Election Commission of India as well;

AND WHEREAS, the Commission satisfied that **Shri Vikas Kumar Mohal** has failed to lodge an account of election expenses and has no good reason or justification for the failure;

AND WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 stipulates that:-

"If the Election Commission is satisfied that a person-

(a) Has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by law or under this Act; and

(b) Has no good reason or justification for the failure the Election Commission shall by order published in the official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from date of the under;

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Shri Vikas Kumar Mohal**, resident of House No. 04, Block No. 6, Village Tosham, Tehsil Tosham, Distt. Bhiwani, Haryana, the contesting candidate for the General Election to the Lok Sabha of NCT of Delhi, 2019 from 06-West Delhi Parliamentary Constituency of the state of NCT of Delhi to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[No.76/ECI/ORD/TERR/NS-II/DL-HP/06/2019]

By Order,

AJOY KUMAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 22 दिसम्बर, 2020

आ. अ. 123.—यतः, आयोग ने रा.रा.क्षे. दिल्ली के 05-उत्तर पश्चिम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए दिनांक 16.04.2019 की अपनी अधिसूचना के द्वारा लोक सभा के साधारण निर्वाचन आयोजित करने की घोषणा की थी और **श्री राम कुमार** ने पूर्वोक्त निर्वाचन लड़ा था;

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77 (1) के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी, वह तिथि जब उसे नाम-निर्देशित किया गया है और उसके परिणाम की घोषणा की तिथि, दोनों तारीखें सम्मिलित, के बीच अपने द्वारा या अपने निर्वाचन एजेंट द्वारा उपगत या अधिकृत निर्वाचन संबंधी सभी खर्चों का, या तो स्वयं या अपने निर्वाचन एजेंट द्वारा, एक पृथक और सही लेखा रखेगा और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से तीस दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी को दर्ज करेगा जो धारा 77 के अंतर्गत उसके द्वारा अथवा उसके निर्वाचन एजेंट द्वारा रखे गए लेखे की सत्य प्रतिलिपि होगी।

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89(2) के अधीन मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पत्र **सं. सीईओ/ईईएम(102)/(49)जीई-2019/49970 दिनांक 09.07.2019** के जरिए जिला निर्वाचन अधिकारी, उत्तर पश्चिम जिला, रा.रा.क्षेत्र, दिल्ली द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के **05-उत्तर पश्चिम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र** से निर्वाचन लड़ने वाले भारतीय प्रगतिशील कांग्रेस के अभ्यर्थी, **श्री राम कुमार** विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं।

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, उत्तर-पश्चिम, रा.रा.क्षे. दिल्ली और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, दिल्ली की रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के तहत निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल न करने पर, **श्री राम कुमार** को कारण बताओ नोटिस दिनांक **25.07.2019** जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप नियम (6) के अनुसार, दिनांक **25.07.2019** के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के माध्यम से, **श्री राम कुमार** को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के भीतर लेखे प्रस्तुत न कर पाने का कारण स्पष्ट करते हुए आयोग को लिखित में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें/अपने लेखे में त्रुटियों को सही करें और उसे संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करें;

और यतः, उक्त नोटिस **श्री राम कुमार** के घर के बाहर दिनांक **14-08-2019, 21-08-2019, 05-09-2019 और 23-12-2019 को 'चस्पा' दिए गए थे**, क्योंकि दिए गए पते पर न तो वे स्वयं न ही उनका परिवार रहता मिला। दो भिन्न अवसरों पर दो पड़ोसियों से चस्पा रिपोर्ट की प्राप्त पावती **एसडीएम(ई), उत्तर पश्चिम द्वारा दिनांक 30.12.2019 के पत्र सं.डीईओ(एनडब्ल्यु)/ एसडीएम(ई)/रिपोर्ट/2019/7808-7811 द्वारा आयोग को प्रस्तुत कर दी गई थी।**

और यतः, **एसडीएम (ई),** उत्तर पश्चिम द्वारा दिनांक 02.03.2020 के अपने पत्र सं. **डीईओ(एनडब्ल्यु)/ एसडीएम(ई)/रिपोर्ट/2019/1526-1530 के द्वारा प्रस्तुत अनुपूरक रिपोर्ट में यह कहा गया है कि श्री राम कुमार, निवासी-मकान नं0-207, ब्लोक नं0-जी, पॉकेट-7, सैक्टर-16, रोहिणी, नई दिल्ली** ने न तो कोई अभ्यावेदन दिया है और न ही मूल वाउचर्स सहित विधिवत रूप से हस्ताक्षरित निर्वाचन व्यय के सही लेखे प्रस्तुत किए हैं। इसके अतिरिक्त, उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग के सम्यक् नोटिस की प्राप्ति के बाद भी उक्त असफलता हेतु न तो कोई कारण बताया न ही स्पष्टीकरण दिया है;

और यतः, भारत निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि **श्री राम कुमार** निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं और असफलता के लिए उनके पास कोई समुचित कारण या न्यायोचित्य नहीं है;

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह अनुबंधित किया गया है कि:-

"यदि निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या कानून के अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा

(ख) उसके पास उस असफलता के लिए कोई समुचित कारण या न्यायोचित्य नहीं है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा कोई भी व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित रहेगा;

अब इसीलिए, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा रा.रा.क्षेत्र दिल्ली राज्य के 05-उत्तर पश्चिम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा के साधारण निर्वाचन, 2019 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी, **श्री राम कुमार, निवासी-मकान नं0-207, ब्लोक नं0-जी, पॉकेट-7, सैक्टर-16, रोहिणी, नई दिल्ली** को संसद के किसी भी सदन या राज्य

या संघ राज्य-क्षेत्र की विधानसभा अथवा विधान परिषद के लिए सदस्य चुने जाने या होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं. 76/भा.नि.आ./आदे./प्रा./एनएस-II/डीएल-लोकसभा/05/2019]

आदेश से,

अजय कुमार, सचिव

ORDER

New Delhi, the 22nd December, 2020

O. N. 123.—WHEREAS, the Commission had declared to hold the General Election to the House of the People of NCT of Delhi to 05–North West Delhi Parliamentary Constituency vide its Notification dated 16.04.2019 and **Shri Ram Kumar** had contested the aforesaid election;

AND WHEREAS, as per Section 77 (1) of the Representation of the People Act, 1951, every candidate at election shall, either by himself or by his election agent, keep a separate and correct account of all expenditure in connection with the election incurred or authorized by him or by his election agent between (the date on which he has been nominated) and (the date of declaration of the result) thereof, both dates inclusive & as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election shall, within thirty days from the date of election of the returned candidate lodge with the District Election Officer (DEO) account of his election expenses which shall be in a true copy of the account kept by him or by his election agent under Section 77.

AND WHEREAS, as per the report under rule 89(2) of the Conduct of Election Rules, 1961, submitted by the District Election Officer, North West District, NCT of Delhi through the Chief Electoral Officer's letter No. **CEO/EEM(102)/(49)GE-2019/49970 dated 09.07.2019,Shri Ram Kumar,** Bhartiya Pragatisheel Congress contesting candidate from **05-North West Parliamentary Constituency** of NCT of Delhi, has failed to lodge any account of his election expenses as required by law.

AND WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer, North West, NCT of Delhi and the Chief Electoral Officer, Delhi, a Show Cause notice **dated 25.07.2019** was issued by the Election Commission of India under Sub Rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 to **Shri Ram Kumar** for non submission of account of Election expenses;

AND WHEREAS, as per Sub Rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, through the above said **Show Cause Notice dated 25.07.2019,Shri Ram Kumar** was directed to submit his representation in writing in the Commission explaining the reason for non submission of accounts and also to lodge his accounts of election expenses/rectify the defects in his accounts and submit the same the District Election Officer concerned within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was made to serve to Sh. Ram Kumar **on 14-08-2019,21-08-2019, 05-09-2019** and **23-12-2019 through 'CHASPA'** as he himself or his family was not found residing at the given address. The Chaspa report acknowledgment receipt obtained from the two neighbors on two different instances submitted to the Commission by **SDM(E), North-West** vide his letter **No. DEO(NW)/SDM(E)/Reports/2019/7808-7811 dated 30.12.2019.**

AND WHEREAS, in the supplementary report submitted by **SDM(E), North-West** vide his letter No. **DEO/NW/SDM(E)/Reports/2019/1526-1530 dated 02-03-2020,** it has been stated that **Shri Ram Kumar**, resident of House No. 207, Block – G, Pocket – 7, Sector-16, Rohini, New Delhi, has not submitted any representation or a statement of correct account of his election expenses, duly signed along with original vouchers. Further, he has neither furnished any reason nor explanation for the said failure even after receipt of the due notice to the Election Commission of India as well;

AND WHEREAS, the Commission satisfied that **Shri Ram Kumar** has failed to lodge an account of election expenses and has no good reason or justification for the failure;

AND WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 stipulates that:-

"If the Election Commission is satisfied that a person-

(a) Has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by law or under this Act; and

(b) Has no good reason or justification for the failure the Election Commission shall by order published in the official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from date of the under;

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Shri Ram Kumar**, resident of House No. 207, Block – G, Pocket – 7, Sector-16, Rohini, New Delhi, the contesting candidate for the General Election to the Lok Sabha of NCT of Delhi, 2019 from 05-North West Parliamentary Constituency of the state of NCT of Delhi to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[No.76/ECI/ORD/TERR/NS-II/DL-HP/05/2019]

By Order,

AJOY KUMAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 22 दिसम्बर, 2020

आ. अ. 124.—यतः, आयोग ने रा.रा.क्षे. दिल्ली के 03-पूर्व दिल्ली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए दिनांक 16.04.2019 की अपनी अधिसूचना के द्वारा लोक सभा के साधारण निर्वाचन आयोजित करने की घोषणा की थी और **श्री शिव कुमार** ने पूर्वोक्त निर्वाचन लड़ा था;

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77 (1) के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी, वह तिथि जब उसे नाम-निर्देशित किया गया है और उसके परिणाम की घोषणा की तिथि, दोनों तारीखें सम्मिलित, के बीच अपने द्वारा या अपने निर्वाचन एजेंट द्वारा उपगत या अधिकृत निर्वाचन संबंधी सभी खर्चों का, या तो स्वयं या अपने निर्वाचन एजेंट द्वारा, एक पृथक और सही लेखा रखेगा और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से तीस दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी को दर्ज करेगा जो धारा 77 के अंतर्गत उसके द्वारा अथवा उसके निर्वाचन एजेंट द्वारा रखे गए लेखे की सत्य प्रतिलिपि होगी।

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89(2) के अधीन मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पत्र **सं. सीईओ/ईईएम(102)/(49)जीई-2019/49970 दिनांक 09.07.2019** के जरिए जिला निर्वाचन अधिकारी, पूर्व दिल्ली जिला, रा.रा.क्षेत्र, दिल्ली द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के **03-पूर्व दिल्ली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र** से निर्वाचन लड़ने वाले निर्दलीय अभ्यर्थी, **श्री शिव कुमार** विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं।

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, पूर्व दिल्ली, रा.रा.क्षे. दिल्ली और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, दिल्ली की रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के तहत निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल न करने पर, **श्री शिव कुमार** को कारण बताओ नोटिस दिनांक **06.08.2019** जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप नियम (6) के अनुसार, दिनांक **06.08.2019** के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के माध्यम से, **श्री शिव कुमार** को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के भीतर लेखे प्रस्तुत न कर पाने का कारण स्पष्ट करते हुए आयोग को लिखित में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें/अपने लेखे में त्रुटियों को सही करें और उसे संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करें;

और यतः श्री शिव कुमार द्वारा उक्त नोटिस दिनांक 19.08.2020 को प्राप्त किया गया था। अभ्यर्थी से प्राप्त पावती, एसडीएम, निर्वाचन, पूर्वी दिल्ली जिला द्वारा दिनांक 19.08.2020 के अपने पत्र सं- डीईओ/पूर्व/एसडीएम(ई)/रिपोर्ट/3(5)/2018/14366-67 के द्वारा आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है।

और यतः, **एसडीएम (ई), पूर्व दिल्ली** द्वारा दिनांक 18.11.2019 के अपने पत्र सं. **डीईओ/पूर्व/एसडीएम(ई)/रिपोर्ट/3(5)/2018/18283 के द्वारा प्रस्तुत अनुपूरक रिपोर्ट में यह कहा गया है कि श्री शिव कुमार, निवासी-485, ज्वाला नगर, दिल्ली** ने न तो कोई अभ्यावेदन दिया है और न ही मूल वाउचर्स सहित विधिवत रूप से हस्ताक्षरित निर्वाचन व्यय के सही लेखे प्रस्तुत किए हैं। इसके अतिरिक्त, उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग के सम्यक् नोटिस की प्राप्ति के बाद भी उक्त असफलता हेतु न तो कोई कारण बताया न ही स्पष्टीकरण दिया है;

और यतः, भारत निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि **श्री शिव कुमार** निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं और असफलता के लिए उनके पास कोई समुचित कारण या न्यायोचित्य नहीं है;

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह अनुबंधित किया गया है कि:-

"यदि निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या कानून के अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा

(ख) उसके पास उस असफलता के लिए कोई समुचित कारण या न्यायोचित्य नहीं है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा कोई भी व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित रहेगा;

अब इसीलिए, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा रा.रा.क्षेत्र दिल्ली राज्य के 03-पूर्व दिल्ली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा के साधारण निर्वाचन, 2019 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी, **श्री शिव कुमार, निवासी- निवासी-485, ज्वाला नगर, दिल्ली** को संसद के किसी भी सदन या राज्य या संघ राज्य-क्षेत्र की विधानसभा अथवा विधान परिषद के लिए सदस्य चुने जाने या होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं. 76/भा.नि.आ./आदे./प्रा./एनएस-II/डीएल-लोकसभा/03/2019]

आदेश से,

अजय कुमार, सचिव

ORDER

New Delhi, the 22nd December, 2020

O. N. 124 .— WHEREAS, the Commission had declared to hold the General Election to the House of the People of NCT of Delhi to 03-East Delhi Parliamentary Constituency vide its Notification dated 16.04.2019 and Shri Shiv Kumar had contested the aforesaid election;

AND WHEREAS, as per Section 77 (1) of the Representation of the People Act, 1951, every candidate at election shall, either by himself or by his election agent, keep a separate and correct account of all expenditure in connection with the election incurred or authorized by him or by his election agent between (the date on which he has been nominated) and (the date of declaration of the result thereof), both dates inclusive & as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election shall, within thirty days from the date of election of the returned candidate lodge with the District Election Officer (DEO) account of his election expenses which shall be in a true copy of the account kept by him or by his election agent under Section 77.

AND WHEREAS, as per the report under rule 89(2) of the Conduct of Election Rules, 1961, submitted by the District Election Officer, East Delhi District, NCT of Delhi through the Chief Electoral Officer's letter No. **CEO/EEM(102)/(49)GE-2019/49970 dated 09.07.2019, Shri Shiv Kumar, Independent** contesting candidate from **03-East Delhi Parliamentary Constituency** of NCT of Delhi has failed to lodge any account of his election expenses as required by law.

AND WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer, East Delhi, NCT of Delhi and the Chief Electoral Officer, Delhi, a Show Cause notice **dated 06.08.2019** was issued by the Election Commission of India under Sub Rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 to **Shri Shiv Kumar**for non submission of account of Election expenses;

AND WHEREAS, as per Sub Rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, through the above said **Show Cause Notice dated 06.08.2019, Shri Shiv Kumar** was directed to submit his representation in writing in the Commission explaining the reason for non submission of accounts and also to lodge his accounts of election expenses/rectify the defects in his accounts and submit the same the District Election Officer concerned within 20 days from the date of receipt of the notice.

AND WHEREAS, the said notice was received by **Shri Shiv Kumar on 19-08-2019,**. Acknowledgment receipt obtained from the candidate have been submitted to the Commission by SDM Election East Delhi District vide his letter **No. DEO(EAST)ACCTTS/3(5)/2018/14366-67 dated 19.08.2019.**

AND WHEREAS, in the supplementary report submitted by **SDM Election East, Delhi District** vide his letter No.**DEO(EAST)ACCTTS/3(5)/2018/18283 dated 18.11.2019,** it has been stated that **Shri Shiv Kumar**, resident of 485, Jwala Nagar, Delhi has not submitted any representation or a statement of correct account of his election expenses, duly signed along with original vouchers. Further, he has neither furnished any reason nor explanation for the said failure even after receipt of the due notice to the Election Commission of India as well;

AND WHEREAS, the Commission to satisfied that **Shri Shiv Kumar** has failed to lodge an account of election expenses and has no good reason or justification for the failure;

AND WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 stipulates that:-

"If the Election Commission is satisfied that a person-

(a) Has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by law or under this Act; and

(b) Has no good reason or justification for the failure the Election Commission shall by order published in the official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from date of the under;

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Shri Shiv Kumar**, resident of 485, Jwala Nagar, Delhi, the contesting candidate for the General Election to the Lok Sabha of NCT of Delhi, 2019 from 03-East Delhi Parliamentary Constituency of the state of NCT of Delhi to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[No.76/ECI/ORD/TERR/NS-II/DL-HP/03/2019]

By Order,

AJOY KUMAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 23 दिसम्बर, 2020

आ. अ. 125.—यतः, आयोग ने रा.रा.क्षे. दिल्ली के 04-नई दिल्ली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए दिनांक 16.04.2019 की अपनी अधिसूचना के द्वारा लोक सभा के साधारण निर्वाचन आयोजित करने की घोषणा की थी और **श्री सुनील कुमार** ने पूर्वोक्त निर्वाचन लड़ा था;

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77 (1) के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी, वह तिथि जब उसे नाम-निर्देशित किया गया है और उसके परिणाम की घोषणा की तिथि, दोनों तारीखें सम्मिलित, के बीच अपने द्वारा या अपने निर्वाचन एजेंट द्वारा उपगत या अधिकृत निर्वाचन संबंधी सभी खर्चों का, या तो स्वयं या अपने निर्वाचन एजेंट द्वारा, एक पृथक और सही लेखा रखेगा और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से तीस दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी को दर्ज करेगा जो धारा 77 के अंतर्गत उसके द्वारा अथवा उसके निर्वाचन एजेंट द्वारा रखे गए लेखे की सत्य प्रतिलिपि होगी।

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89(2) के अधीन मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पत्र **सं. सीईओ/ईईएम(102)/(49)जीई-2019/49970 दिनांक 09.07.2019** के जरिए जिला निर्वाचन अधिकारी, नई दिल्ली जिला, रा.रा.क्षेत्र, दिल्ली द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के **04-नई दिल्ली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र** से निर्वाचन लड़ने वाले पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया (डेमोक्रेटिक) के अभ्यर्थी, **श्री सुनील कुमार** विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं।

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, नई दिल्ली, रा.रा.क्षे. दिल्ली और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, दिल्ली की रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के तहत निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल न करने पर, **श्री सुनील कुमार** को कारण बताओ नोटिस दिनांक **26.07.2019** जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप नियम (6) के अनुसार, दिनांक **26.07.2019** के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के माध्यम से, **श्री सुनील कुमार** को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के भीतर लेखे प्रस्तुत न कर पाने का कारण स्पष्ट करते हुए आयोग को लिखित में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें/अपने लेखे में त्रुटियों को सही करें और उसे संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करें;

और यतः श्री सुनील कुमार द्वारा उक्त नोटिस दिनांक 10.12.2020 को प्राप्त किया गया था। अभ्यर्थी से प्राप्त पावती, एसडीएम, निर्वाचन, नई दिल्ली जिला द्वारा दिनांक 13.12.2020 के अपने पत्र सं- ओ/डीईओ(एसडीएम)/ई/एनडीडी/2019/4696-97 के द्वारा आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है।

और यतः, **एसडीएम (ई),** नई दिल्ली द्वारा दिनांक 28.02.2020 के अपने पत्र सं. **ओ/डीईओ(एसडीएम)/ई/एनडीडी/2019/1914-15 के द्वारा प्रस्तुत अनुपूरक रिपोर्ट में यह कहा गया है कि श्री सुनील कुमार, निवासी-फ्लैट नं0-248, विध्या विहार, वेस्ट एन्कलैव, पीतमपुरा, दिल्ली-110034** ने न तो कोई अभ्यावेदन दिया है और न ही मूल वाउचर्स सहित विधिवत रूप से हस्ताक्षरित निर्वाचन व्यय के सही लेखे प्रस्तुत किए हैं। इसके अतिरिक्त, उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग के सम्यक् नोटिस की प्राप्ति के बाद भी उक्त असफलता हेतु न तो कोई कारण बताया न ही स्पष्टीकरण दिया है;

और यत:, भारत निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि **श्री सुनील कुमार** निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं और असफलता के लिए उनके पास कोई समुचित कारण या न्यायोचित्य नहीं है;

और यत:, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह अनुबंधित किया गया है कि:-

"यदि निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या कानून के अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा

(ख) उसके पास उस असफलता के लिए कोई समुचित कारण या न्यायोचित्य नहीं है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा कोई भी व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित रहेगा;

अब इसीलिए, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा रा.रा.क्षेत्र दिल्ली राज्य के 04-नई दिल्ली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा के साधारण निर्वाचन, 2019 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी, **श्री सुनील कुमार, निवासी-फ्लैट नं0-248, विध्या विहार, वेस्ट एन्कलैव, पीतमपुरा, दिल्ली-110034** को संसद के किसी भी सदन या राज्य या संघ राज्य-क्षेत्र की विधानसभा अथवा विधान परिषद के लिए सदस्य चुने जाने या होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं. 76/भा.नि.आ./आदे./प्रा./एनएस-II/डीएल-लोकसभा/04/2019]

आदेश से,

अजय कुमार, सचिव

ORDER

New Delhi, the 23rd December, 2020

O. N. 125 .—WHEREAS, the Commission had declared to hold the General Election to the House of the People of NCT of Delhi to 04–New Delhi Parliamentary Constituency vide its Notification dated 16.04.2019 and Shri Sunil Kumar had contested the aforesaid election;

AND WHEREAS, as per Section 77 (1) of the Representation of the People Act, 1951, every candidate at election shall, either by himself or by his election agent, keep a separate and correct account of all expenditure in connection with the election incurred or authorized by him or by his election agent between (the date on which he has been nominated) and (the date of declaration of the result thereof), both dates inclusive & as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election shall, within thirty days from the date of election of the returned candidate lodge with the District Election Officer (DEO) account of his election expenses which shall be in a true copy of the account kept by him or by his election agent under Section 77.

AND WHEREAS, as per the report under rule 89(2) of the Conduct of Election Rules, 1961, submitted by the District Election Officer, North West District, NCT of Delhi through the Chief Electoral Officer's letter No. **CEO/EEM(102)/(49)GE-2019/49970 dated 09.07.2019, Shri Sunil Kumar, Peoples Party of India (Democratic)** contesting candidate from **04-New Delhi Parliamentary Constituency** of NCT of Delhi, has failed to lodge any account of his election expenses as required by law.

AND WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer, New Delhi, NCT of Delhi and the Chief Electoral Officer, Delhi, a Show Cause notice **dated 26.07.2019** was issued by the Election Commission of India under Sub Rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 to **Shri Sunil Kumar** for non submission of account of Election expenses;

AND WHEREAS, as per Sub Rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, through the above said **Show Cause Notice dated 26.07.2019, Shri Sunil Kumar** was directed to submit his representation in writing in the Commission explaining the reason for non submission of accounts and also to lodge his accounts of election expenses/rectify the defects in his accounts and submit the same the District Election Officer concerned within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by Shri Sunil Kumar on 10-12-2019. Acknowledgment receipt obtained from the candidate have been submitted to the Commission by SDM(E), New Delhi vide his letter **No. O/ DEO/SDM(E)/NDD/2019/4696-97 dated 13.12.2019.**

AND WHEREAS, in the supplementary report submitted by **SDM(E), New Delhi** vide his letter **No. O/ DEO/SDM(E)/NDD/2019/1914-15 dated 28-02-2020,,** it has been stated that **Shri Sunil Kumar**, resident of Flat No. 248, VidyaVihar, West Enclave, Pitampura Delhi-110034 has not submitted any representation or a statement of correct account of his election expenses, duly signed along with original vouchers. Further, he has neither furnished any reason nor explanation for the said failure even after receipt of the due notice to the Election Commission of India as well;

AND WHEREAS, the Commission satisfied that **Shri Sunil Kumar** has failed to lodge an account of election expenses and has no good reason or justification for the failure;

AND WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 stipulates that:-

"If the Election Commission is satisfied that a person-

(a) Has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by law or under this Act; and

(b) Has no good reason or justification for the failure the Election Commission shall by order published in the official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from date of the under;

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Shri Sunil Kumar**, resident of Flat No. 248, Vidya Vihar, West Enclave, Pitampura Delhi-110034, the contesting candidate for the General Election to the Lok Sabha of NCT of Delhi, 2019 from 04-New Delhi Parliamentary Constituency of the state of NCT of Delhi to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[No.76/ECI/ORD/TERR/NS-II/DL-HP/04/2019]

By Order,

AJOY KUMAR, Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SURENDER MAHADASAM